सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 132बी/2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

जोरावर सिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिसुन्दनी तह.सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. महावीरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

3. पप्पूसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी बिसुन्दनी तह.सावर जिला अजमेर

प्रफॉर्मा प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–07.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता स. 3 के खसरा नम्बर 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 कुल किता 6 कुल रकबा 1.72 है. दर्ज सुयक्त खातेदारी है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/4 हिस्सा है जिसका वादी खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादी स. 1 व प्रफॉर्मा प्रतिवादी स. 3 के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 का 1/2 हिस्सा व प्रफॉर्मा प्रतिवादी स. 2 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त हिस्से के अनुसार ही वाद वर्णित आराजीयात पर वादी /प्रतिवादी का सयुंक्त कब्ज काश्त चला आ रहा है। वाद वर्णित आराजीयात सयुक्त खातेदारी मे होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त में दखलदांजी करता रहता है। प्रतिवादी स. 1 वादी को ऐलानिया धमकी देता है कि तुम्हारी फसल को नष्टभ्रष्ट करूंगा व तुम नही माने तो जमीन को बैचान कर दुगा। वादी को बिना बटवारा कराये जमीन को बेचकर बैदखल करना चाहता है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किया जाकर वादी का 1/4 हिस्से का खाता अलग से कायम किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का 1/4 हिस्से की तरमीम की जावें साथ प्रतिवादी स. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी के 1/4 हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त ,उपयोग ,उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या दखलन्दाजी नही करें न वादी द्वारा काश्तशुदा फसल उपज को नष्टभ्रष्ट करे, उक्ता आराजीयात को किसी प्रकार का रहन ,बैचान,बक्षीस इत्यादि न करें। वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में दिनांक 10.1.2018 को जवाब पेश नही होने से अन्तिम मौका दिया गया । प्रतिवादी द्वारा न तो जवाब पेश किया गया और न ही कोई वकील नियुक्त किया है। प्रतिवादी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं । दिनांक 14.3.18 को प्रतिवादी स. 1 व 3 का जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में पेश हुयी। वादी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जवाब सरकार पेश हुआ । जिसे शामिल पत्रावली किया गया । वादी /प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादपत्र का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता स. 3 के खसरा नम्बर 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 कुल किता 6 कुल रकबा 1.72 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के हिस्से तक कब्जे काश्त, स्वामित्व, उपयोग, उपभोग, में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही आराजीयात को खुर्द–बुर्द करें तथा रहन, बेचान, इत्यादि कार्य नही करें। तहसीलदार सावर को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी